न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या- 144/2024

वादी :-

1. अशोक उपाध्याय पुत्र स्व. घीसूलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम रावर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल निवास 194 मैन रोड, कामराज नगर तिरूवल्लूर तमिलनाडु

प्रतिवादी :-

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः-वादी - श्री मदन लाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 1 - सरकारी पेरोकार।

निर्णय

दिनांकः- 09/02/26

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम रावर, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 390 रकबा 2.1034 हैक्टेयर आई हुई है। जो वादी व सहखातेदार शान्ति की संयुक्त खातेदारीसुदा भूमि है। जिसमें वादी का 4/13 व० हिस्सा दर्ज है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि ए से सम्बोधित किया जायेगा। राजस्व ग्राम रावर, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 35 रकबा 2.7911 हैक्टेयर आई हुई है। जो वादी व सहखातेदार ब्रह्मानंद की संयुक्त खातेदारीसुदा भूमि है। जिसमें वादी का 1/2 व० हिस्सा दर्ज है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि बी से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी पूर्व में वादी के पिता घीसुलाल जी के नाम दर्ज थी। घीसुलाल जी फौत होने पर वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी में घीसुलाल जी के स्थान पर वादी व उसके भाई ब्रह्मानंद का नाम दर्ज किया गया। घीसुलाल जी के फौतेदगी म्यूटेशन की कार्यवाही वादी के भाई ब्रह्मानंद द्वारा की गयी क्योकि उस समय वादी नाबालिग था। यादी के भाई ब्रह्मानंद द्वारा घीसुलाल जी का फौतेदगी म्यूटेशन वादी व उनके नाम दर्ज करवाते समय वादी को घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम परसराम दर्ज करवा दिया तब से घीसुलाल जी के फौतेदगी म्यूटेशन के आधार पर वादी का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में परसराम दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी का सही नाम अशोक उपाध्याय है। जिसके सम्बंध में सरकारी दस्तावेज वादी का आधारकार्ड, पहचान पत्र, पैनकार्ड, एच.डी.एफ.सी. बैंक की खाता डायरी, परिवार राशनकार्ड वाद पत्र के साथ पेश है। जिसमें वादी का सही नाम अशोक उपाध्याय दर्ज है। वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी का नाम घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम परसराम दर्ज होने की जानकारी हाल ही में वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि श्ए श व श्बी श पर ऋण हेतु आवश्यक दस्तावेज चालु जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर हुई, तब वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि श्ए श व श्बी श के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज नाम परसराम के स्थान पर उसके सरकारी दस्तावेज अनुसार सही नाम अशोक उपाध्याय दुरूस्त किये जाने हेतु प्रतिवादी को निवेदन किया तो प्रतिवादी ने वादी के निवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इस हेतु श्रीमान सक्षम है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी के राजस्व रेकर्ड

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

जमाबन्दी में वादी का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज नाम परसराम के स्थान पर उसका सरकारी दस्तावेज अनुसार सही नाम अशोक उपाध्याय दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। क्योकि वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज नाम परसराम वादी के उपरोक्त सरकारी दस्तावेज से मिलान नही करता है, इस कारण वादी को वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी के सम्बंध में सरकारी सुविधाए प्राप्त नही हो पा रही है। इसलिए वादी का वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज नाम परसराम के स्थान पर उसके उपरोक्त सरकारी दस्तावेज अनुसार दर्ज सही नाम अशोक उपाध्याय दुरूस्त किये जाने हेतु यह वाद बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी के अन्य दर्ज सहखातेदार को प्रस्तुत वाद में पक्षकार नही बनाया है, क्योकि वादी द्वारा उनके विरूद्ध प्रस्तुत वाद में किसी प्रकार का कोई अनुतोष चाहा है इसलिए वो प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार नही है तथा प्रस्तुत वाद में माननीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित करने पर उनके हक व अधिकार प्रभावित होने की संभावना नही है। वादकारण वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी के सम्बंध में वादी के पिता घीसुलाल जी का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करते समय वादी के भाई ब्रह्मानंद द्वारा वादी का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम परसराम दर्ज करवाने से, तब से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में परसराम दर्ज चला आने से, वादी द्वारा हाल ही में वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी के सम्बंध में ऋण प्राप्ति हेतु चालु जमाबन्दी प्राप्त करने पर वादी को उपरोक्त अशुद्ध इन्द्राज की जानकारी होने पर वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी का दर्ज अशुद्ध नाम परसराम के स्थान पर सही नाम अशोक उपाध्याय दुरूस्त किये जाने हेतु प्रतिवादी को निवेदन करने पर प्रतिवादी द्वारा वादी के निवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार करने पर की इस हेतु श्रीमान सक्षम होन से वादकारण बमुकाम् ग्राम रावर, तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो सतत् जारी है। दावा बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती के लिए होने से तथा विवादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी राजस्व ग्राम रावर, तहसील बिलाड़ा की सीमा में स्थित होने से प्रस्तुत याद माननीय न्यायालय को सुनवाई करने का व श्रवण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अन्त में वादपत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम रावर, तहसील बिलाड़ा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि ए खसरा संख्या 390 रकबा 2.1034 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वादी का दर्ज घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम परसराम पुत्र घीसुलाल, हिस्सा 4/13 जाति ब्राहम्ण, सा. देह खातेदार के स्थान पर वादी के सरकारी दस्तावेज में दर्ज अनुसार सही नाम अशोक उपाध्याय पुत्र घीसुलाल, हिस्सा 4/13 जाति ब्राहम्ण, सा. देह खातेदार दुरूस्त किये जाने की डिकी फरमाये। मुताबिक डिक्री के अनुसार दुरूस्ती का म्यूटेशन व इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे। राजस्व ग्राम रावर, तहसील बिलाड़ा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि शबीश खसरा संख्या 35 रकबा 2.7911 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वादी का दर्ज घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम परसराम पुत्र घीसुलाल, हिस्सा 1/2 जाति ब्राहम्ण, सा. देह खातेदार के स्थान पर वादी के सरकारी दस्तावेज में दर्ज अनुसार सही नाम अशोक उपाध्याय पुत्र घीसुलाल, हिस्सा 1/2 जाति ब्राहम्ण, सा. देह खातेदार दुरूस्त किये जाने की डिक्री फरमावे। मुताबिक

डिक्री के अनुसार दुरुस्ती का म्यूटेशन व इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रावर तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 930 रकबा 2.1034 हैक्टयर वर्तमान चालू जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 में वादी का 4/13 हिस्सा दर्ज है। ग्राम रावर तहसील बिलाडा की वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के खसरा सं. 35 रकबा 2.7911 हैक्टयर भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज है। पद सं. 1 वर्णित भूमि पूर्व में वाद के पिता घीसूलाल के नाम दर्ज थी। घीसूलाल फौत होने से घीसूलाल के स्थान पर वादी का नाम परसराम दर्ज किया गया। घीसूलाल के फौतेदगी नामान्तरकरण सं. 132 के अनुसार ही राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वादी का नाम परसराम दर्ज चला आ रहा है। पद सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि पूर्व में वादी के पिता घीसूलाल के नाम दर्ज थी। घीसूलाल देहान्त होने पर घीसूलाल के स्थान पर वादी का नाम परसराम दर्ज हुआ। घीसुलाल के विरासत नामान्तरकरण सं. 132 के अनुसार ही राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वादी का नाम परसराम दर्ज चला आ रहा है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि हल्का पटवारी रावर की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम रावर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 खसरा सं. 35 रकबा 2.9711 हैक्टयर व खसरा सं. 390 रकबा 2.1034 हैक्टयर भूमि में वादी का दर्ज अशुद्ध नाम परसराम पुत्र घीसुलाल हि. के स्थान पर वादी के सरकारी दस्तावेज अनुसार नाम अशोक उपाध्याय पुत्र घीसूलाल का राजस्व रेकर्ड में नाम शुद्धि किया जाता है तो भूमिधारी को कोई आपति नहीं है। प्रतिवादी की ओर से दावा का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र अशोक उपाध्याय पुत्र घीसूलाल द्वारा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के खाता सं. 35 ग्राम रावर, प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के खाता सं. 390 ग्राम रावर, प्रदर्श 3 सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र, प्रदर्श 4 वादी का आधार कार्ड, प्रदर्श 5 वादी का पहचान पत्र, प्रदर्श 6 वादी का पैनकार्ड आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 वादी का आधार कार्ड की प्रति, प्रदर्श 2 वादी का निर्वाचन पहचान पत्र की प्रति, प्रदर्श 3 वादी के पैनकार्ड की प्रति, प्रदर्श 4 वादी के बैक डायरी की प्रति आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि उपरोक्त दस्तावेजात में वादी का नाम अशोक उपाध्याय दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम परसराम पुत्र घीसुलाल के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण राजस्व रेकर्ड में वादी अपना नाम अशोक उपाध्याय की घोषणा कराने की अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने परसराम पुत्र घीसूलाल के स्थान पर

अशोक उपाध्याय पुत्र घीसुलाल किये जाने की सहमति प्रदान की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम रावर के खसरा नंबर 35 रकबा 2.7911 हैक्टयर व खसरा नंबर 390 रकबा 2.1034 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में परसराम पुत्र घीसूलाल के स्थान पर अशोक उपाध्याय पुत्र घीसुलाल की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 09/03/26 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी :– **बनाम** **प्रतिवादीगण :–**
अशोक उपाध्याय सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
राजस्व वाद संख्या :– **144/2025**

निर्णय **दिनांक :–** 09/03/26

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी सं. 1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम रावर के खसरा नंबर 35 रकबा 2.7911 हैक्टयर व खसरा नंबर 390 रकबा 2. 1034 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में परसराम पुत्र घीसूलाल के स्थान पर अशोक उपाध्याय पुत्र घीसुलाल की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा